निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 37/2021
दायरा दिनांकः—04.01.2021
निर्णय दिनांकः— 18.12.24

उनवान

1. मांगी बाई आयु 68 वर्ष पत्नि रामरतन जाति काछी (कुशवाह) निवासी छबडा ईदगाह चौराहे के पास तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल आयु 65 वर्ष आत्मज बद्रीलाल जाति धाकड
2. रामकल्याण आयु 48 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड
3. कन्हैयालाल आयु 46 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड
4. बाबुलाल आयु 42 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड निवासी बडोदिया हाल निवास ईदगाह चौराहे के पास निपानिया रोड तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 18.12.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — वादी
2. श्री हेमन्त पारीक — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं 319/1 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा वाके टोडी तहसील छबडा जिला बारा राज में अवस्थित है। जिसका शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का वादीया वैधानिक अधिकारी है। उक्त आराजी का इन्द्राज भू—अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। वादीया की उक्त आराजी मे से निपानीया रोड बन जाने के कारण वादीया की भूमि दो भागों में विभाजित हो गयी। रोड के दूसरी तरफ वादीया की भूमि का दुसरा हिस्सा प्रतिवादी की भूमि खसरा न. 320 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के लगवां है। जिसके कारण प्रतिवादी एवं उसके परिजनो वादीया की भूमि को अपनी भूमि मे मिलाना चाहते है तथा उस पर मकान दुकान बनाने पर आमादा हैं जिसके लिऐ दिनांक दिनांक 23.11.2020 को जे.सी. बी. मशीन से नीव की खुदाई करने इसके बाद पुनः दिनांक 23.12.2020 को निर्माण कार्य चालू करने पर नही माने प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर वादीया की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं वादीया या उसके परिजन के वहां आने पर हाथ—पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी दी। वादीया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

द्वारा थाना छबडा में भी रिपोट की किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वादीया की भूमि पर प्रतिवादी एवं उसके परिजन व प्रतिनिधियो को मकान–दुकान का पक्का निर्माण करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादीया की उक्त भूमि पर जबरन जे.सी.बी. मशीन से नीव की खुदाई चालू करने व वादीया व उसके पुत्र शिवराज व पौत्र द्वारा मना करने पर नहीं माने प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर वादीया की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं वादीया या उसके परिजन के वहां आने पर हाथ–पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी देने परयह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी प्रतिवादी उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान व दुकान का निर्माण कर सकते है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु प्रतिवादीको निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। यदि मुताबिक धमकी प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान दुकान बना लिया तो वादनी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव होगी तथा वादनी को अकारण कई मुकदमों में उलझना पडेगा। इसलिए वादनी प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वैधानिक अधिकारी है। प्रतिवादी अपनी भूमि की सीमा से अधिक वादनी की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान दुकान नहीं बनाने बाबत वादनी द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादनी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 23.11.2020 को जे.सी. बी. मशीन से नीव की खुदाई करने इसके बाद पुनः दिनांक 23.12.2020 को निर्माण कार्य चालू करने पर वादीया व उसके पुत्र शिवराज व पौत्र द्वारा मना करने पर भी नही माने प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर वादीया की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं वादीया या उसके परिजन के वहां आने पर हाथ–पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी देने व वादीया द्वारा थाना छबडा में भी रिपोट की किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 21.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 131नक्शा ट्रेस पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 मांगी बाई के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर वादिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है निपानिया छबडा रोड बन जाने के कारण वादिया की भूमि दो भागों में विभाजित हो गयी है रोड के दुसरी तरफ वादिया की भूमि प्रतिवादीगण की भूमि के लगवा है जिसके कारण प्रतिवादीगण वादिया की भूमि को अपनी भूमि में मिलाना चाहतें है तथा मकान दुकान बनाने पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आमादा है प्रतिवादीगण वादिया की भूमि में रोड के सहारे जबरन कब्जा कर दुकान मकान का निर्णय करना चाहतें है यदि प्रतिवादीगण वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा कर दुकान मकान का निर्माण कर लिया तो प्रार्थीया/वादिया को अपरिमित क्षति होगी प्रतिवादीगण को वादिया की भूमि पर कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है वादिया का वाद स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–74 खाता संख्या 131 में वादिया मांगी बाई पत्नि रामरतन काछी सा0देह का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता हे कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी की है। वादिया के शपथ पत्र के आधार पर कब्जा काश्त होना बताया है। वादिया के खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण को कब्जा करने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिसे विवादित भूमि प्रतिवादीगण की साबित हो सके विवादित आराजी वादिया के खातेदारी की है जिस पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमण पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है वादिया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 319/1 रकबा 2.14 बीघा में वादिया के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 37/2021	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 18.12.2024

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री भगवान कृष्ण बलरिया—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः— श्री हेमन्त पारीक

वाद शीर्षक

उनवान

1. मांगी बाई आयु 68 वर्ष पत्नि रामरतन जाति काछी (कुशवाह) निवासी छबडा ईदगाह चौराहे के पास तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल आयु 65 वर्ष आत्मज बद्रीलाल जाति धाकड
2. रामकल्याण आयु 48 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड
3. कन्हैयालाल आयु 46 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड
6. बाबुलाल आयु 42 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड निवासी बडोदिया हाल निवास ईदगाह चौराहे के पास निपानिया रोड तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 319/1 रकबा 2.14 बीघा में वादिया के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **18.12.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		